

## सिंगरौली जिले का माड़ा वन क्षेत्र और आदिवासी जनजाति: एक अध्ययन

डॉ. विश्वनाथ सिंह कुशराम

सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सिलेंस,

शासकीय राजनारायण स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैढन, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

**सारांश-** प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा वन क्षेत्र और वहाँ निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। सिंगरौली, जो भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है। माड़ा वन क्षेत्र, जो गोंड, बैगा और अगरिया जनजातियों का पारंपरिक निवास स्थल रहा है, औद्योगिकीकरण, खनन और विस्थापन की चुनौतियों से जूझ रहा है। यह शोध पत्र आदिवासी समुदायों की वन-आधारित जीवन शैली, उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान संकटों का विश्लेषण करता है। साथ ही, विकास की अनिवार्यता और जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के उपाय सुझाता है।

**बीज शब्द:** माड़ा वन क्षेत्र, सिंगरौली, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, आदिवासी अधिकार, वन संरक्षण, विस्थापन, पारंपरिक ज्ञान, औद्योगिकीकरण, सतत विकास

**प्रस्तावना-** मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला भौगोलिक दृष्टि से विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह अपने विपुल कोयला भंडार एवं ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 5672 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 45 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। माड़ा वन क्षेत्र इसी वन संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल जैव विविधता का केंद्र है, बल्कि गोंड, बैगा और अगरिया जैसी आदिवासी जनजातियों का जीवनाधार भी है।

ये आदिवासी समुदाय सदियों से इन वनों के साथ सहजीवी संबंध बनाए रखते आए हैं। वन उनके लिए केवल संसाधन का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और सामाजिक संरचना का आधार हैं। महुआ, तेंदूपत्ता, बांस, लकड़ी और विभिन्न औषधीय पौधे उनकी अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभ हैं। परंतु पिछले चार दशकों में कोयला खनन, ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना और बड़े बांध परियोजनाओं ने इस क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। विकास की यह प्रक्रिया आदिवासी समुदायों के लिए विस्थापन, आजीविका का संकट, सांस्कृतिक विघटन और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के बावजूद, माड़ा क्षेत्र के आदिवासियों को अपने पारंपरिक अधिकारों की मान्यता और संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**माड़ा वन क्षेत्र: भौगोलिक और पारिस्थितिकीय परिचय**

**भौगोलिक स्थिति-** माड़ा वन क्षेत्र सिंगरौली जिले के दक्षिणी भाग में विस्तृत है और यह लगभग 850 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र रीवा संभाग के अंतर्गत आता है और भौगोलिक दृष्टि से 23°47' से 24°27' उत्तरी अक्षांश और 82°12' से 83°05' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में होने के कारण पहाड़ी, बीहड़ और घने वनों से आच्छादित है। जलवायु-यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में यह 5-10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

वार्षिक औसत वर्षा 1000-1200 मिलीमीटर है, जो मुख्यतः जून से सितंबर के बीच होती है। रिहंद, गोपद और बनास नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख जलस्रोत हैं।

**वनस्पति और जैव विविधता-** माड़ा वन क्षेत्र मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। यहाँ साल, सागौन, महुआ, तेंदू, बांस, आम, जामुन, बेर, करोंदा और अनेक औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। महुआ का वृक्ष यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिवासी समुदाय इसे 'कल्पवृक्ष' मानते हैं क्योंकि इसके फूल, बीज और छाल सभी का उपयोग होता है। जीव-जंतुओं में तेंदुआ, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। हालांकि खनन और वनोन्मूलन के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।

**5 आदिवासी जनजातियां: सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेषण**

**जनसांख्यिकीय संरचना-** माड़ा वन क्षेत्र में मुख्यतः तीन आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं - गोंड, बैगा और अगरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार सिंगरौली जिले की कुल जनसंख्या लगभग 11.78 लाख है, जिसमें से लगभग 47 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। माड़ा क्षेत्र में यह प्रतिशत और भी अधिक है, जो लगभग 65-70 प्रतिशत तक पहुंचता है।

**गोंड जनजाति:** यह संख्या और प्रभाव दोनों दृष्टियों से सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड समुदाय मध्य भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। इनका सामाजिक संगठन कुल (गोत्र) व्यवस्था पर आधारित है।

**बैगा जनजाति:** बैगा समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजातियों (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) की श्रेणी में रखा गया है। ये पारंपरिक रूप से झूम खेती (बैवर खेती) करते थे, लेकिन वन संरक्षण कानूनों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

**अगरिया जनजाति:** परंपरागत रूप से लोहा गलाने और कृषि उपकरण बनाने का कार्य करने वाली यह जनजाति अब मुख्यतः कृषि और वन संसाधन संग्रहण पर निर्भर है।

**सामाजिक संगठन-** आदिवासी समाज की संरचना जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया या पटेल होता है, जो समुदाय का प्रमुख होता है। विवादों का निपटारा पंचायत व्यवस्था के माध्यम से होता है, जहाँ गांव के बुजुर्ग सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। यह व्यवस्था अत्यंत प्रभावी है और सरकारी न्याय तंत्र से अधिक सुलभ मानी जाती है।

परिवार संरचना संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित है, हालांकि आर्थिक दबावों के कारण एकल परिवार भी बढ़ रहे हैं। विवाह पद्धति में गोत्र बहिर्विवाह का नियम है। विवाह के विभिन्न रूप प्रचलित हैं - वधू मूल्य प्रथा, पैठ विवाह, घुसपैठ विवाह आदि।

**सांस्कृतिक विरासत**

**धार्मिक विश्वास:** माड़ा क्षेत्र के आदिवासी मुख्यतः प्रकृति पूजक हैं।

बूढ़ा देव (शिव), ठाकुर देव, दुल्हा देव और विभिन्न स्थानीय देवी-देवताओं की आराधना की जाती है। प्रत्येक गांव में सरना या देवस्थान होता है, जो पवित्र वन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कटाई या शिकार वर्जित है।

**त्योहार और अनुष्ठान:** करमा, जवारा, दशहरा और होली प्रमुख त्योहार हैं। करमा पूजा बरसात के मौसम में की जाती है, जो कृषि और प्रजनन से जुड़ी है। मड़ेई (मेला) का विशेष महत्व है, जहाँ विभिन्न गांवों के लोग एकत्र होते हैं।

**कला और नृत्य:** लोक संगीत और नृत्य इनकी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। दमाऊ, तुड़ी, मांदर और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। सुआ नृत्य, रीना नृत्य और करमा नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।

**भाषा:** गोंडी, बैगानी और अगरिया भाषाएं बोली जाती हैं, जो द्रविड़ और ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवारों से संबंधित हैं। हालांकि हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी में मातृभाषा का प्रयोग कम होता जा रहा है।

**पारंपरिक ज्ञान प्रणाली-**आदिवासी समुदायों के पास औषधीय पौधों, मौसम विज्ञान, मिट्टी प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण का विशाल पारंपरिक ज्ञान है। वे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए वन से प्राप्त जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हैं। बैद्य या गुनिया (पारंपरिक चिकित्सक) समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं।

कृषि में भी उनका पारंपरिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। बीज संरक्षण, मिश्रित खेती, जैविक खाद का उपयोग और जल संरक्षण की उनकी तकनीकें आधुनिक टिकाऊ कृषि के सिद्धांतों से मेल खाती हैं।

**वन और आदिवासी: सहजीवी संबंध**

**आर्थिक निर्भरता-**माड़ा क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की आजीविका मुख्यतः वन संसाधनों पर निर्भर है। सर्वेक्षण के अनुसार, औसतन 60-70 प्रतिशत घरेलू आय वन उपज से प्राप्त होती है।

**लघु वनोपज (NTEP):** तेंदूपत्ता, महुआ के फूल, हर्षा, बहेड़ा, आवला, चिरौंजी, लाख, शहद, गोंद और विभिन्न जड़ी-बूटियां प्रमुख लघु वनोपज हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो अप्रैल से जन तक चलती है। एक परिवार औसतन 15,000 से 25,000 रुपये प्रति वर्ष तेंदूपत्ता से कमाता है।

**ईंधन और चारा:** दैनिक जीवन के लिए लकड़ी, सूखी पत्तियां और घास का संग्रहण किया जाता है। पशुपालन के लिए वन से चारा प्राप्त होता है।

**भोजन सुरक्षा:** महुआ, आम, जामुन, करौदा, कटहल और विभिन्न कंदमूल भोजन के पूरक स्रोत हैं। विशेषकर अकाल या खाद्य संकट के समय ये जीवनरक्षक होते हैं।

**पर्यावरणीय संरक्षण में भूमिका-**आदिवासी समुदाय सदियों से वनों के संरक्षक रहे हैं। उनकी जीवन शैली न्यूनतम संसाधन उपयोग और अधिकतम पुनर्चक्रण पर आधारित है। सरना (पवित्र वन) की परंपरा प्राकृतिक संरक्षण का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये क्षेत्र जैव विविधता के भंडार हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखते हैं।

वन्यजीव संरक्षण में भी इनकी परंपरागत भूमिका रही है। हालांकि शिकार इनकी संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन यह नियंत्रित और संतुलित था। वे प्रजनन काल में और गर्भवती मादाओं का शिकार नहीं करते थे।

**कृषि पद्धतियां-**आदिवासी समुदाय मिश्रित खेती करते हैं, जहाँ धान, कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द और तिल प्रमुख फसलें हैं। पारंपरिक रूप से बैगा समुदाय द्वारा की जाने वाली बेवर खेती (झम खेती) पहाड़ी ढलानों पर की जाती थी, जो प्राकृतिक चक्र का हिस्सा थी। हालांकि 1960-70 के दशक में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे बैगा समुदाय की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

**औद्योगिकीकरण का प्रभाव: विकास या विनाश?**

**खनन और ऊर्जा परियोजनाएं-**सिंगरौली क्षेत्र में 1960 के दशक से ही बड़े पैमाने पर कोयला खनन और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हुई है। वर्तमान में यहाँ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC), हिंडाल्को, रिलायंस पावर और एस्सार पावर जैसी कंपनियों के संयंत्र स्थापित हैं। इन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट है, जो भारत के कुल विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रिहंद बांध और बाणसागर बांध परियोजनाओं ने भी बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 300 गांवों के विस्थापन का अनुमान है, जिसमें माड़ा क्षेत्र के कई गांव शामिल हैं।

**विस्थापन और पुनर्वास की समस्याएं -**विस्थापन माड़ा क्षेत्र के आदिवासियों की सबसे बड़ी त्रासदी है। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 40 प्रतिशत परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापन से प्रभावित हुए हैं।

**पुनर्वास नीति की कमियां:**

मुआवजे की राशि भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम।

वैकल्पिक भूमि की गुणवत्ता निम्न और दूरस्थ क्षेत्रों में।

रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव।

सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन।

पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी।

**मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** विस्थापन केवल भौतिक स्थानांतरण नहीं है, यह पूरी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देता है। पैतृक भूमि और पवित्र स्थलों से अलगाव गहरे मानसिक आघात का कारण बनता है।

**पर्यावरणीय क्षरण-**खनन और औद्योगिक गतिविधियों ने पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाला है:

**वायु प्रदूषण:** कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाइ ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ने वायु की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। श्वास संबंधी बीमारियों में वृद्धि हुई है।

**जल संसाधनों का प्रदूषण:** खनन अपशिष्ट और औद्योगिक बहिःस्राव से स्थानीय नदियां और तालाब प्रदूषित हुए हैं। भूजल स्तर में गिरावट और जल की गुणवत्ता में कमी आई है।

**वनोन्मूलन:** लगभग 5000 हेक्टेयर वन क्षेत्र विभिन्न परियोजनाओं के लिए काटा जा चुका है। इससे जैव विविधता का हास हुआ है और जंगली जानवरों के आवास नष्ट हुए हैं।

**मिट्टी का क्षरण:** खनन गतिविधियों ने मिट्टी की उर्वरता को नष्ट किया है और भू-स्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

**सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन-**औद्योगिकीकरण ने कुछ रोजगार अवसर अवश्य दिए हैं, परंतु अधिकांश स्थानीय आदिवासियों को केवल अकुशल श्रमिक के रूप में काम मिला है। प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर बाहरी लोगों का कब्जा है। परंपरागत आजीविका के विकल्पों की कमी ने कई युवाओं को शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर किया है, जहाँ उन्हें निम्न वेतन पर कठिन काम करना पड़ता है। शराब की लत और सामाजिक विघटन में वृद्धि देखी गई है। संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है और पारंपरिक मूल्यों का हास हो रहा है।

**कानूनी और प्रशासनिक पहलू**

**वन अधिकार अधिनियम 2006-**अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एक महत्वपूर्ण कानून है, जो आदिवासियों के ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम वन भूमि पर व्यक्तिगत

और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।  
**माड़ा क्षेत्र में क्रियान्वयन:** दुर्भाग्यवश, इस अधिनियम का क्रियान्वयन अत्यंत धीमा और अप्रभावी रहा है। जटिल प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण की कमी और प्रशासनिक उदासीनता मुख्य बाधाएं हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 15-20 प्रतिशत पात्र परिवारों को ही अब तक वन अधिकार पत्र मिले हैं।

**पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA)** -यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। परंतु व्यवहार में इन अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभाओं की सहमति को नजरअंदाज किया जाता है।

**भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति-**मध्य प्रदेश पुनर्वासन नीति 2002 और राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति 2007 के बावजूद, माड़ा क्षेत्र में विस्थापितों का पुनर्वास संतोषजनक नहीं है। लंबित मुआवजे, अपर्याप्त वैकल्पिक भूमि और पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख शिकायतें हैं।

### शिक्षा और स्वास्थ्य

**शिक्षा की स्थिति-**माड़ा क्षेत्र में साक्षरता दर राज्य और राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। आदिवासी समुदायों में साक्षरता लगभग 35-40 प्रतिशत है, जिसमें महिला साक्षरता और भी कम (20-25 प्रतिशत) है।

### समस्याएं:

विद्यालयों की दूरी और संख्या की कमी।

मातृभाषा में शिक्षण सामग्री का अभाव।

आर्थिक कारणों से बच्चों का विद्यालय छोड़ना (Drop-out Rate बहुत अधिक)।

शिक्षकों की अनुपस्थिति और गुणवत्ता की समस्या।

सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम की कमी।

आश्रम शालाएं और एकलव्य आवासीय विद्यालय कुछ सकारात्मक पहल हैं, परंतु इनकी संख्या अपर्याप्त है।

**स्वास्थ्य सुविधाएं-**स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाओं की आपूर्ति में अनियमितता आम समस्याएं हैं।

### प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं:

कुपोषण और एनीमिया (विशेषकर महिलाओं और बच्चों में)।

मलेरिया, डेंग और अन्य वेक्टर जनित रोग।

प्रदूषण से संबंधित श्वास रोग।

तर्पेदिक और अन्य संक्रामक रोग।

मातृ और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक।

पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली अभी भी प्रमुख है, जो जड़ी-बूटियों पर आधारित है। परंतु आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है।

**प्रतिरोध और सामाजिक आंदोलन-**माड़ा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। कई स्थानीय संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी हितों की वकालत कर रहे हैं।

### प्रमुख मुद्दे:

वन अधिकारों की मान्यता।

न्यायोचित मुआवजा और बेहतर पुनर्वास।

पर्यावरण संरक्षण।

रोजगार के अवसर।

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।

कुछ मामलों में ग्राम सभाओं ने खनन परियोजनाओं को सामूहिक विरोध के माध्यम से रोका है, जो स्थानीय लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाता है।

**निष्कर्ष-**सिंगरौली जिले का माड़ा वन क्षेत्र और यहाँ के आदिवासी समुदाय विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में मानवीय और पर्यावरणीय मूल्यों को नजरअंदाज करना दीर्घकालिक दृष्टि से विनाशकारी है।

आदिवासी समुदाय सदियों से इन वनों के संरक्षक रहे हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और सहजीवी जीवन शैली आधुनिक टिकाऊ विकास की अवधारणा के लिए प्रेरणा हो सकती है। परंतु औद्योगिकीकरण, खनन और विस्थापन ने उनके अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है।

\*\*\*\*\*

### संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, अनिल और नारायण सेठी (2012), "सिंगरौली का पर्यावरणीय संकट: खनन और विकास के प्रभाव", *पर्यावरण अध्ययन पत्रिका*, खंड 18(2), पृष्ठ 145
2. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2011), *भारत की जनगणना 2011: सिंगरौली जिला*, नई दिल्ली: भारत सरकार.
3. गोंड, रामदयाल (2015), *गोंड जनजाति: संस्कृति और परंपरा*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ 78
4. चतुर्वेदी, बी.के. और शर्मा, आर.के. (2014), "विध्य क्षेत्र की वनस्पति और जैव विविधता", *भारतीय वनिकी जर्नल*, खंड 45(3), पृष्ठ 234
5. जनजातीय कार्य मंत्रालय (2020), *आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति रिपोर्ट 2020*, नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ 112
6. त्रिपाठी, सुरेश चंद्र (2008), "बैगा जनजाति की बेवर कृषि पद्धति: एक अध्ययन", *मानव विज्ञान पत्रिका*, खंड 12(1), पृष्ठ 67
7. दुबे, श्यामाचरण (1998), *भारतीय समाज*, जयपुर: रावत पब्लिकेशंस, पृष्ठ 156-178.
8. पांडे, राजीव (2016), "सिंगरौली: विकास का विरोधाभास", *समाज और विकास*, खंड 24(4), पृष्ठ 45
9. भारतीय वन सर्वेक्षण (2021), *भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021*, देहरादून: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृष्ठ 234
10. मध्य प्रदेश वन विभाग (2019), *सिंगरौली वन प्रभाग कार्य योजना 2019-2029*, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार.
11. शर्मा, बी.डी. (2001), *जनजातीय विकास: मुद्दे और चुनौतियां*, नई दिल्ली: सहयोग पुस्तक सेवा, पृष्ठ 89
12. सिंह, सुरेश (2013), "लघु वनोपज और आदिवासी अर्थव्यवस्था", *आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक*, खंड 48(23), पृष्ठ 67
13. एलविन, वेरियर (1939), *द बैगा*, लंदन: जॉन मेरे पब्लिशर्स (हिंदी अनुवाद, 2005, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), पृष्ठ 145
14. गुहा, रामचंद्र (2000), *द अनक्वाइट वुड्स: इकोलॉजिकल चेंज एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालय*, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (हिंदी अनुवाद, 2010), पृष्ठ 234
15. कश्यप, सुभाष (2017), "वन अधिकार अधिनियम: क्रियान्वयन की चुनौतियां", *कुरुक्षेत्र*, खंड 65(8), पृष्ठ 34
16. मौणा, महावीर सिंह (2018), *आदिवासी समाज और शिक्षा*, जयपुर: पोइंटर पब्लिशर्स, पृष्ठ 112-134.
17. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (2015), *सिंगरौली परियोजना: पर्यावरण प्रभाव आकलन*, नई दिल्ली: NTPC.
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2022), *पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2022*, नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ 78
19. प्रधान, अरुण कुमार (2019), "आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता संरक्षण", *विज्ञान प्रगति*, खंड 86(5), पृष्ठ 456
20. वर्मा, रविंदर नाथ (2011), "विस्थापन और पुनर्वास: सिंगरौली का अनुभव", *समाजशास्त्र बुलेटिन*, खंड 60(2), पृष्ठ 189
21. फडनवीस, श्रुति (2016), "महिलाएं और वन: आदिवासी समाज में लिंग संबंध", *स्त्री अध्ययन*, खंड 14(3), पृष्ठ 234
22. बताशे, योगेश (2020), "कोयला खनन का पर्यावरणीय प्रभाव: सिंगरौली का मामला", *पर्यावरण संरक्षण जर्नल*, खंड 32(1), पृष्ठ 89-107.
23. मध्य प्रदेश आदिवासी विकास निगम (2021), *लघु वनोपज संग्रहण और विपणन रिपोर्ट 2020-21*, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार.